एनसीसी केयर-टेकर दिनेश्वर सलाम के मार्गदर्शन तथा पैथालॉजी संकलपित हुए एवं समाज के लोगों को रक्तदान के महत्व को बताकर कर्मचारी राकेश निषाद एवं पुन्नूलाल वाल्मिकी का योगदान रहा.

पीजी कॉलेज में हुआ ऑनलाइन वेबीनार

नवभारत ब्यूरो | धमतरी.
www.navbharat.org

Navbharat 28/11/20

शासकीय पीजी कॉलेज धमतरी के प्राचार्य डॉ. श्रीदेवी चौबे के निर्देशानुसार एवं विधि विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. दुर्गेश प्रसाद, डॉ. सपना ताम्रकार, प्रो. पंकज जैन, प्रो. कोमल प्रसाद यादव एंवं एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी प्रो. अमरसिंग साहू एवं डॉ. राकेश कुमार साहू के मार्गदर्शन में संविधान दिवस का आयोजन किया गया. छात्र-छात्राओं को भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन कराया गया. तत्पश्चात 12 बजे से विधि विभाग एवं एनएसएस के संयुक्त तत्वाधान में ऑनलाईन वेबीनार का आयोजन कर संविधान दिवस मनाया गया. कार्यक्रम का प्रारंभ डॉ. सपना ताम्रकार ने हे शारदे मां गाकर किया गया तत्पश्चात विधि के छात्र कमलेश्वर बंजारे ने राज्यगीत अरपा पैरी के धार की प्रस्तुति दी. कार्यक्रम का संचालन करते हुए प्रो. कोमल प्रसाद यादव ने संविधान दिवस मनाने के उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए संविधान की प्रस्तावना एवं विभिन्न अनुच्छेदों पर प्रकाश डाला. तत्पश्चात विधि की छात्रा पूनम सालुंके, शैलेष अग्रवाल, श्रीमती ईश्वरी तारक, जय प्रकाश साहू, मैकल साहू, प्रकाश गुप्ता, प्राची शर्मा, विभोर अवस्थी, राहुल चोपड़ा, तोसन साहू ने संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारो, मूल कर्तव्यो, नीति निर्देशक तत्वों पर प्रकाश डालते हुए संविधान को देश की सवोच्च विधि बताया एवं संविधान का पूर्णतः पालन करने का संदेश दिया. एनएसएस के ईकाई क्रमांक 2 के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. राकेश साहू ने संविधान का पूर्णतः पालन करने का संदेश दिया. डॉ सपना ताम्रकार ने विधि दिवस मनाने के उद्देश्यों एवं भीमराव अंबेडकर जी के योगदानों पर प्रकाश डाला. उक्त अवसर पर मुख्य वक्ता एवं विधि विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. दुर्गेश प्रसाद ने भारत के संविधान के निर्माण होने की एतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रत्येक बिन्दुओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए भाग तीन में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 226 एवं 32 के तहत रिट अधिकारिता के माध्यम से उपचार प्राप्त करने, कमजोर वर्गो के लिए पृथक से बनाए गए प्रावधान पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए संविधान का पूर्णतः पालन करने का संदेश दिया. अंत में प्रो. पंकज जैन ने संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित ऑनलाईनय वेबीनार में जुड़ने के लिए विधि भाग एक, दो एवं तीन के समस्त छात्र-छात्राओं, महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक एवं एनएसएस के छात्र-छात्राओं के प्रति आभार व्यक्त किया.

Scanned with CamScanner

कॉलेज में संविधान दिवस के अवसर पर ऑनलाईन वेबीनार का आयोजन

धमतरी(प्रखर)। भारत शासन एवं उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार बीसीएस शास. स्नातकोश्रर महाविद्यालय धमतरी के प्राचार्य डॉ. श्रीदेवी चौबे के निर्देशानुसार एवं विधि विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. दुर्गेश प्रसाद, डॉ. सपना ताम्रकार, प्रो. पंकज जैन, प्रो. कोमल प्रसाद यादव एवं एन.एस.एस.के कार्यक्रम अधिकारी-प्रो. अमरसिंग साहू एवं डॉ. राकेश कुमार साहू के मार्गदर्शन में 26 नवम्बर को संविधान दिवस का आयोजन किया गया। प्रात: 11 बजे महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. श्रीदेवी चौबे ने महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक, समस्त स्टॉफ एवं उपस्थित छात्र-छात्राओं को भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन कराया गया। जिसके तहत् प्राचार्य एवं समस्त स्टॉफद्वारा कोरोना वैश्विक महामारी के तहत् शासन के निर्देशो का पालन करते हुए पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया।

12 बजे से विधि विभाग एवं एन.एस.एस. के संयुक्त तत्वाधान में ऑनलाईन वेबीनार का आयोजन

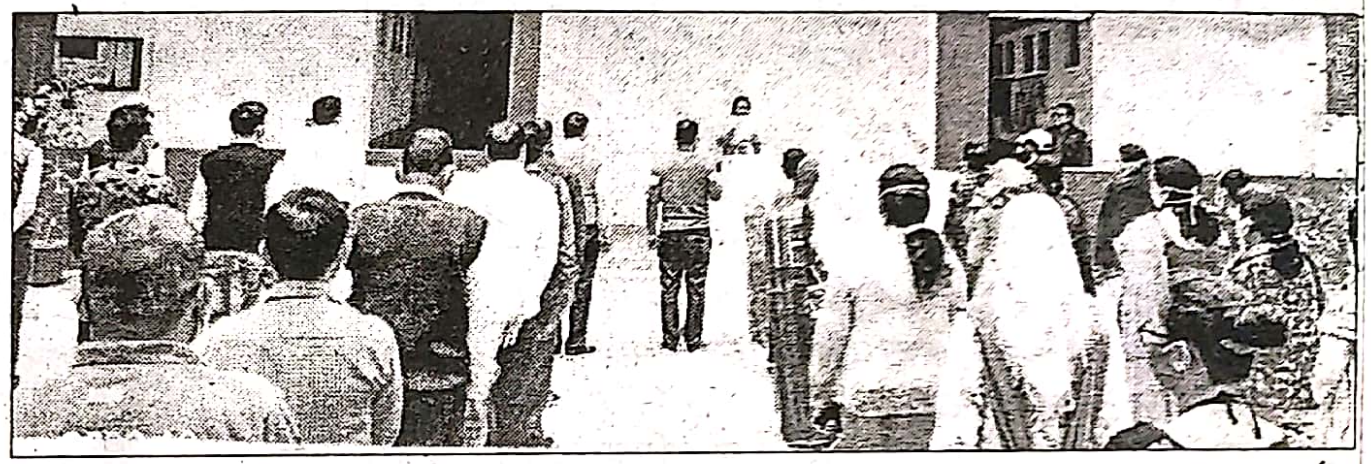

कर संविधान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ डॉ. सपना ताम्रकार ने हे शारदे माँ गाकर किया गया तत्पश्चात् विधि के छात्र कमलेश्वर बंजारे ने राज्यगीत अरपा पैरी के धार की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन करते हुए प्रो. कोमल प्रसाद यादव ने संविधान दिवस मनाने के उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए संविधान की प्रस्तावना एवं विभिन्न अनुच्छेदों पर प्रकाश डाला। तत्पश्चात् विधि की छात्रा पूनम सालुंके, शैलेष अग्रवाल, ईश्वरी तारक, जय प्रकाश साहू, मैकल साहू, प्रकाश गुप्ता, प्राची शर्मा, विभोर अवस्थी, राहुल चोपड़ा, तोसन साहू ने संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारो, मूल कर्तव्यो, नीति निर्देशक तत्वों पर प्रकाश डालते हुए संविधान को देश की सर्वोच्च विधि बताया एवं संविधान का पूर्णत: पालन करने का संदेश दिया। एन.एस.एस. के ईकाई क्रमांक 2 के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. राकेश साहू ने संविधान का पूर्णत: पालन करने का संदेश दिया। डॉ सपना ताम्रकार ने विधि दिवस मनाने के उद्देश्यों एवं भीमराव अ पर प्रकाश डाला।

कॉलेज में मनाया
प्रदूषण नियंत्रण

Scanned with CamScanner

कार्यक्रम

पीजी कालेज में छात्र-छात्राओं ने मूट कोर्ट लगाकर किया प्रदर्शन, हत्या के मामले में की बहस

07/03/21

कालेज में आभासी न्यायालय, विद्यार्थी बने जज, वादी-प्रतिवादी और वकील

धमतरी (नईदुनिया प्रतिनिधि)। विधि भाग एक के विद्यार्थियों ने कालेज में प्रदर्शन के रूप में मूट कोर्ट (आभासी न्यायालय) लगाकर कई मामलों पर सुनवाई की। इस दौरान कालेज के विद्यार्थियों ने जज, वादी, प्रतिवादी और अधिवक्ता की भूमिका निभाई। मूट कोर्ट में हत्या समेत कई मामलों पर जमकर बहस की। कोर्ट में कई दिलचस्प मामलों की प्रस्तुति की हुई, जिसे देखकर अतिथियों व प्रोफेसरों ने सराहना की।

बीसीएस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी की प्राचार्य डा श्रीदेवी चौबे के निर्देशन एवं विधि विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दुर्गेश प्रसाद, डा सपना ताम्रकार, प्रो कोमल प्रसाद यादव, प्रो पंकज जैन एवं डा प्रेमनाथ भारती के मार्गदर्शन में विधि भाग प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने प्रायोगिक तौर पर मूट कोर्ट एकाउन्साइज एवं इंटर्नशीप पर आधारित

मूट कोर्ट (आभासी न्यायालय) का आयोजन नवीन भवन सेमिनार हाल में

पीजी कालेज धमतरी में विधि भाग एक के विद्यार्थियों द्वारा आयोजित मूट कोर्ट में शामिल अतिथि व विद्यार्थी। ● पीजी कालेज

किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्राचार्य डा श्रीदेवी चौबे थीं। अध्यक्षता पूर्व प्राचार्य डा चंद्रशेखर चौबे ने किया। अतिथियों, प्रोफेसरों व दो एवं तीन भाग के विद्यार्थियों की उपस्थिति में कोरोना से बचाव व सुरक्षा के लिए

वादी-प्रतिवादी की भूमिका विद्यार्थियों ने निभाई

वातिनी की भूमिका भारती वढ़ाकर ने प्रतिवदी की भूमिका खुबलाल निर्मलकर ने, वातिनी के पिता की भूमिका हुमेश्वर ने एवं माता की भूमिका ममता रणसिंग ने निभाई। राकेश साहू ने प्रतिवादी के पिता एवं इंद्रेश्वरी ने माता की भूमिका निभाई। इसी तरह आकाश वढ़ाकर, पदमिनी सोनकर, निरंजन दास दिव्यार अवस्थी, रेणु मारकंडे, लीना, प्रिया, आंचल साहू, अशोक उदासी, कुंदललाल, उमा, उत्तमचंद एवं कमल कुमार ने अलग-अलग पात्रों की भूमिका निभाई। आपराधिक केस प्रजेंटेशन के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या संबंधित मामलों का प्रदर्शन किया, जिसमें न्यायाधीश की भूमिका अर्चना शर्मा ने लोक अधिवक्ता की भूमिका, दिव्या अग्रवाल ने अधिवक्ता की भूमिका निभाई। इस प्रकरण में जमकर बहस चली। इस अवसर पर कालेज के प्रोफेसर व विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

करते हुए मूट कोर्ट की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की गुरुआत अतिथियों एवं प्राध्यापकों ने मां सरस्वती की पूजा-अर्चना कर किया। इस अवसर पर विधि की छात्रा पूनम साहू एवं दीपा बेहरा के द्वारा सरस्वती वंदना एवं राज्य गीत अरपा पैरी के धार की प्रस्तुति दी गई। मंच का संचालन करते हुए विधि के छात्र हुमेश्वर ने मूटकोर्ट में उपस्थित [illegible] कर प्रारंभिक जानकारियां

प्रस्तुत की। मूट कोर्ट में सिविल केस के दांपत्य अधिकारों की पुर्नस्थापना केस का आभासी प्रदर्शन किया गया। जिसमें जज की भूमिका लुकेश्वरी साहू ने निभाई। वहीं वादी पक्ष के अधिवक्ता की भूमिका विनिता पांडेय एवं कीर्ति गांधी ने तथा प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता की भूमिका इंस्पी तारक एवं [illegible] गोस्वामी ने निभाई।

बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी के विधि विभाग में मूटकोर्ट आयोजित

07/03/21

सिविल केस दाम्पत्य अधिकारों की पुर्नस्थापना का आभासी प्रदर्शन किया गया

हरिभूमि न्यूज ⏭धमतरी

बीसीएस.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विधि भाग तीन (प्रथम सेमेस्टर) के छात्र–छात्राओं के लिए मूटकोर्ट एक्सरसाइज एंड इन्टरशीप पर आधारित मूटकोर्ट (आभासी न्यायालय) का आयोजन हुआ। विधि की छात्र पूनम सालुंके एवं दीपा बेहरा ने सरस्वती वंदना एवं राज्य गीत अरपा पैरी के धार की प्रस्तुति दी। मंच का संचालन करते हुए विधि के छात्र ओमेश्वर ने प्रारंभिक जानकारी दी। मूटकोर्ट प्रेजेंटेशन के तहत सिविल केस दाम्पत्य अधिकारों की पुर्नस्थापना का आभासी प्रदर्शन किया गया। जज की भूमिका लुकेश्वरी साहू ने निभाई। वादी पक्ष के अधिवक्ता की भूमिका विनिता पाण्डेय एवं कीर्ति गांधी तथा प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता की भूमिका ईश्वरी तारक एवं गायत्री माया गोस्वामी ने निभाई। वादिनी की भूमिका भारती चन्द्राकर, प्रतिवादी की भूमिका खूबलाल निर्मलकर, वादिनी के पिता की भूमिका हुमेश्वर एवं माता की भूमिका ममता रणसिंग ने निभाई। राकेश साहू ने प्रतिवादी के पिता एवं इंदेश्वरी ने माता की भूमिका निभाई। इसी तरह आकाश चन्द्राकर, पदमिनी सोनकर, निरंजन दास, बिभोर अवस्थी, रेणु मारकंडे, लीना, प्रिया, आंचल साहू, अशोक उदासी, झामिन, कुंदललाल, उमा, उत्तमचंद एवं कमल कुमार ने अलग–अलग पात्रों की भूमिका का निर्वहन किया।

आपराधिक केस प्रेजेंटेशन के तहत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या संबंधित मामलों का आभाषी प्रदर्शन किया गया। न्यायाधीश की भूमिका अर्चना शर्मा, लोक अधिवक्ता की भूमिका दिव्या अग्रवाल ,अधिवक्ता की भूमिका शैलेष अग्रवाल, अभियोजन की भूमिका हिमांशु साहू, टाइपिस्ट की भूमिका पंकज डोडवानी, आवेदक की भूमिका गोपी किशन सिन्हा ने निभाई। प्रियंका, लीना, हिमांशु पिंजानी, सुमैया बानो, ओमेश्वर साहू, निरंजनदास, शंकरदास ने भी शानदार प्रेजेंटेशन दिया।

प्राचार्य डॉ.श्रीदेवी चौबे ने छात्र–छात्राओं को शानदार प्रेजेंटेशन के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। पूर्व प्राचार्य डॉ.चन्द्रशेखर चौबे ने सिविल एवं क्रिमिनल केस में अलग–अलग भूमिकाओं का प्रस्तुतिकरण करने वाले छात्र–छात्राओं को विधि के क्षेत्र में लोक अभियोजक, प्राध्यापक, विधि अधिकारी, वकील, नोटरी बनकर महाविद्यालय, जिले व प्रदेश में अपनी सशक्त पहचान बनाने प्रेरित किया। विधि विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. दुर्गेश प्रसाद , डॉ. सपना ताम्रकार ने मूटकोर्ट प्रेजेंटेशन के माध्यम से भविष्य में विधि के क्षेत्र में अपनी मंजिल को प्राप्त करने प्रेरित किया। प्रो. पंकज जैन ने मूटकोर्ट प्रेजेंटेशन की उत्कृष्ट प्रस्तुति पर हर्ष व्यक्त किया।

मौके पर प्रो. कोमल प्रसाद यादव, डॉ. प्रेमनाथ भारती समेत छात्र–छात्राएं मौजूद थे।

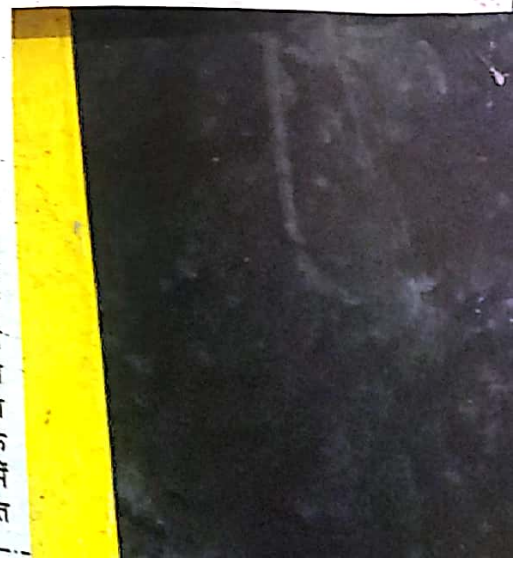

Scanned with CamScanner

पीजी कॉलेज में लगी मूटकोर्ट: छात्र बने जज, गवाह और वकील

पीजी कॉलेज में विधि विभाग के 39 छात्र-छात्राओं के द्वारा मूटकोर्ट का किया आभासी प्रदर्शन, 5 घंटे में 2 केस पर फैसला

09/03/21

भास्कर न्यूज|धमतरी

विधि विभाग के छात्र-छात्राओं को न्यायालीन प्रक्रिया की जानकारी देने मूटकोर्ट एक्सरसाइज एंड इंटर्नशिप पर आधारित मूटकोर्ट लगाया गया। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव पीजी कॉलेज के विधि विभाग में लगाई इस कोर्ट में दाम्पत्य अधिकारों की पुर्नस्थापना व जमीन के लिए दोस्त की हत्या विषय पर केस चलाया गया। दोनों केस में पक्ष-विक्ष से 22 गवाह सामने आए।

वकीलों ने अपने-अपने स्तर से छताछ किया। अंत में जज ने अपना फैसला सुनाया। विधि भाग 3 प्रथ सेमेस्टर के 39 छात्र-छात्राओं ने प न्यायालय में अलग-अलग

मूटकोर्ट में एक वकील ने जज को दस्तावेज प्रस्तुत किया।

जिम्मेदारी उठाई। मूटकोर्ट शनिवार को सुबह 11 बजे से शांम 4 बजे तक चली। मंच का संचालन छात्र ओमेश्वर ने प्राध्यापकों एवं छात्र-छात्राओं की स्वागत करते हुए प्रांरभिक जानकारी दी। मुख्य अतिथि कॉलेज की प्राचार्य डॉ. श्रीदेवी चौबे, सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉ. चन्द्रशेखर चौबे, विधि विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रो. दुर्गेश प्रसाद व अन्य प्राध्यापक, विधि भाग- 1, 2 एवं 3 के विद्यार्थियों की उपस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मूटकोर्ट की कार्रवाई ड्रेस कोट में पूरी की गई।

कॉलेज के मूटकोर्ट में इन 2 केस पर आया फैसला

कार्यवाही के दौरान इन्होंने निभाए ये किरदार

जज की भूमिका लुकेश्वरी साहू ने निभाई। पक्ष की वकील विनिता पांडेय, कीर्ति गांधी, विपक्ष में भूमिका ईश्वरी तारक, गायत्री माया गोस्वामी वकील थीं। वादी भारती चन्द्राकर व प्रतिवादी भूमिका निर्मलकर, पिता की भूमिका हुमेश्वर, माता की भूमिका ममता रणसिंग ने निभाई। राकेश साहू ने प्रतिवादी के पिता एवं इंदेश्वरी ने माता की भूमिका निभाई। इस फैसले में 8 लोग गवाह थे। पक्ष व विपक्ष के वकीलों ने सभी ने अपने-अपने तरीके से पूछताछ की।

दोस्त की हत्या का आरोप लगा, हुआ बरी

इस केस पर न्यायाधीश की भूमिका अर्चना शर्मा ने निभाई। लोक अधिवक्ता की भूमिका दिव्या अग्रवाल, अधिवक्ता की भूमिका शैलेष अग्रवाल, अभियोजन भूमिका हिमांशु साहू, टाइपिस्ट की भूमिका पंकज डोडवानी, आवेदक की भूमिका गोपी किशन सिन्हा ने निभाई। जमीन के लिए हुई हत्या पर 14 लोगों के गवाह सामने जाए। न्यायाधीश ने गवाह व वकीलों द्वारा बताए गए सबूत देखने व समझने के बाद आरोपी को बरी कर दिया।

Scanned with CamScanner